झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— राO खाO आO (भ्रमण) — 05 / 2021 - 39

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग /
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग /
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः— 30/01/2026

विषयः— **आयोग की माननीय सदस्या—सह—प्रभारी अध्यक्ष द्वारा राँची जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 के तहत् संचालित योजनाओं के निरीक्षण से संबंधित भ्रमण प्रतिवेदन का प्रेषण।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि आयोग की माननीय सदस्या—सह—प्रभारी अध्यक्ष, श्रीमती शबनम परवीन द्वारा दिनांक—21.01.2026 को राँची जिला भ्रमण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 के तहत् संचालित योजनाओं—आँगनबाड़ी केन्द्रों, पीOएमO पोषण योजना एवं जन वितरण प्रणाली केन्द्रों का निरीक्षण किया गया।

माननीय प्रभारी अध्यक्ष द्वारा किये गये उक्त भ्रमण से संबंधित प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनुO—यथोक्त।

विश्वासभाजन

30/1/26

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Anju\Letters.docx116

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
Email-jharfoodcommission@gmail.com

101

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की सदस्या–सह–प्रभारी अध्यक्ष, श्रीमती शबनम परवीन का दिनांक–21.01.2026 को राँची जिले में स्थलीय निरीक्षण से सम्बन्धित प्रतिवेदन।

93
29/01/26

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा दिनांक–21.01.2026 को राँची जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित योजनाओं यथा–जनवितरण प्रणाली केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं विद्यालय में दिये जाने वाले पी0एम0 पोषण का स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

➢ ***जनवितरण प्रणाली केन्द्र :–***

- दिनांक–21.01.2026 को आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा राशन डीलर, श्रीमती सुशीला खलखो, अनुज्ञप्ति संख्या–08/2020, अपर कोचा, लोवाडीह, नामकुम, राँची के राशन दुकान का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सूचना पट्ट अंकित पाया गया। उपस्थित लाभुकों द्वारा पूरा राशन मिलने की बात कही गई। राशन डीलर द्वारा ई–पॉस मशीन से निकलने वाला पर्ची लाभुकों को नहीं देने की जानकारी सामने आई। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा राशन डीलर को पर्ची देने एवं पर्ची में अंकित मात्रा के अनुसार लाभुकों को राशन देने का निर्देश दिया गया। PDS केन्द्र पर उपस्थित एक कार्डधारी द्वारा बताया गया कि उनके राशन कार्ड सं0–202004858528 में उनके पुत्र का नाम बिना जानकारी दिये काट दिया गया है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कार्डधारी को आयोग का वाट्सएप्प नंबर उपलब्ध कराते हुए उक्त नंबर पर शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया गया, ताकि आयोग द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➢ ***आंगनबाड़ी केन्द्र :–***

- दिनांक–21.01.2026 को आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र, कोड सं0–09, लोवाडीह, नामकुम, राँची का स्थलीय निरीक्षण किया गया। पाया गया कि केन्द्र सेविका के अपने घर में संचालित हो रहा है। केंद्र में कुल–20 बच्चे नामांकित हैं, जिनमें से 16 बच्चे उपस्थित पाए गए। केन्द्र के बाहर सूचना पट्ट अंकित पाया गया। बच्चों के लिये भोजन सेविका द्वारा अपने निजी किचन में बनाया जाता है। बच्चों के लिये बने खिचड़ी को देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि यह बहुत कम बच्चों के लिये बना है। विभाग से प्राप्त गैस चूल्हा सील पाया गया। केन्द्र में प्रतिदिन खिचड़ी एवं अण्डा मिलने की बात बच्चों द्वारा बताई गई। हलुआ के सम्बन्ध में पूछने पर सेविका द्वारा बताया गया कि बच्चे खिचड़ी खाने के समय पर आते हैं, जिस कारण सभी बच्चों को हलुआ नहीं मिल पाता है, हलुआ के स्थान उन्हें खिचड़ी दिया जाता है।।

केन्द्र में उपस्थित धात्री माताओं द्वारा बताया गया कि उनके पहले बच्चे के जन्म के समय PMMVY से सम्बन्धित राशि उन्हें प्राप्त हुई थी। बच्चे के जन्म से पहले उन्हें 03 पैकेट एवं बच्चे के जन्म के पश्चात् 04 पैकेट पोषाहार मिलता था। वर्तमान में उन्हें पोषाहार नहीं मिल रहा है। इस सम्बन्ध में सेविका से पूछने पर बताया गया कि अक्टूबर, 2025 से ही THR विभाग से नहीं मिल पा रहा है। जिस कारण लाभुक THR से वंचित हैं। आयोग द्वारा उपस्थित लाभुकों को आयोग का वाट्सएप्प नंबर उपलब्ध कराते हुए उक्त नंबर पर शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

- आयोग द्वारा आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल, कोड संख्या–11, वार्ड नं0–12, राँची सदर, लोवाडीह, नामकुम, राँची का स्थलीय निरीक्षण किया गया। यहाँ भी केन्द्र सेविका के अपने घर में संचालित हो रहा है। बच्चों के लिये भोजन सेविका के निजी किचेन में बनाया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान केंद्र में नामांकित कुल–15 बच्चों में से 06 बच्चे उपस्थित पाए गए। केन्द्र के बाहर सूचना पट्ट अंकित नहीं पाया गया। प्रभारी अध्यक्ष द्वारा केन्द्र के बाहर सूचना पट्ट अंकित कराने का निर्देश दिया गया। सेविका द्वारा बताया गया कि विभाग से गैस चूल्हा तो मिला है किन्तु गैस सिलेंडर नहीं मिला है। सेविका द्वारा अक्टूबर, 2025 से केन्द्र में THR नहीं मिलने की बात कही गई। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा आंगनबाड़ी पतरा टोली, बरगाँवा, नामकुम, राँची, का स्थलीय निरीक्षण किया गया। अपराह्न 12:15 बजे केन्द्र बन्द पाया गया। आसपास के लोगों से पूछने पर जानकारी मिली कि केन्द्र खुला था। बताया गया कि बच्चों को खिचड़ी मिलता है एवं सप्ताह में केवल एक दिन सोमवार को ही बच्चों को अण्डा दिया जाता है। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➢ ***पी0 एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) :–***

- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय, पतराटोली, नामकुम, विद्यालय कोड सं0–20140800801 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में बच्चों के लिए बनाया जाने वाला भोजन कूकिंग गैस पर बनता हुआ पाया गया। विद्यालय में भोजन से सम्बन्धित मेन्यू अंकित पाया गया, किन्तु बच्चों द्वारा मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिलने की बात कही गई। उपस्थित बच्चों से पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक–20.01.2026 को चावल, छोला (चना की सब्जी) एवं सलाद के स्थान पर बच्चों को दाल, चावल एवं चोखा दिया गया था। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

इसके साथ स्थलीय निरीक्षण समाप्त हुआ।

28.1.26
(शबनम परवीन)
सदस्या–सह–प्रभारी अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

1. राशन डीलर, श्रीमती सुशीला खलखो, अनुज्ञप्ति संख्या–08 / 2020, अपर कोचा, लोवाडीह, नामकुम, राँची के राशन दुकान का स्थलीय निरीक्षण।

2. आंगनबाड़ी केन्द्र, लोवाडीह, नामकुम, राँची कोड सं0–09 का स्थलीय निरीक्षण।

आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल, वार्ड नं0–12, राँची सदर, लोवाडीह, नामकुम, राँची, कोड संख्या–11 का स्थलीय निरीक्षण।

आंगनबाड़ी पतरा टोली, बरगाँवा, नामकुम, राँची, का स्थलीय निरीक्षण।

राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय, पतराटोली, नामकुम, विद्यालय कोड सं0–20140800801 का स्थलीय निरीक्षण।